FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

सरकार जरिये तहसीलदार .... बनाम कालुराम

करम मुकदमा .... नं० 71/19 .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
01.07.2019	वादपत्र सरकार जरिये तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी के तहत हिस्से/खातेदारों कि घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश/परिपत्र कमांक/बीआर/एलआर/NLRMP/ एफ.126/पार्ट-2/10164-96 दिनांक 26.09.2017 के अनुसार डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत हिस्से/ खातेदारों कि घोषणा हेतु दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 कि धारा 88 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली आइन्दा वास्ते तलबी दिनांक 05.07.2019 को पेश हो। [signature]	
5.7.19	पत्रावली पेश हुई। कोर्ट कैम्प [illegible] में सभी प्रतिवादीगण उपस्थित। सभी पक्षकारों को सुना गया व हिस्से सही दर्ज करने बाबत सहमति पत्र तैयार किया गया। सभी पक्षकारों ने ग्राम [illegible] आ०नं० 493, 494, 495 किता 3 रकबा 0.275 हे० में हिस्से सही दर्ज नहीं होने से सभी खातेदारों ने आपसी सहमती से हिस्से बताये जो निम्न है। आ०नं० 493, 494, 495 किता 3 रकबा 0.275 हे० श्री कालुराम घीसालाल सुरेशचन्द्र पिता मांगीलाल प्रेमलाल पिता कन्हैयालाल [illegible] पत्नी स्व० मांगीलाल 1/18 हि० [illegible]	

Scanned by CamScanner

लक्ष्मीनारायण पिता भानु 1/18 शिवलाल
मुरलीधर पन्नालाल पिता परमानन्द 1/9 हि० ब०
ऊंकारलाल तोलीराम मांगीलाल पिता छगनलाल
1/18 हि० ब० बंशीलाल महेश्वर जगदीश पिता
नन्दराम धापु बेवा नन्दराम 1/36 हि० ब०
मोहन पिता गिरधारी 1/36 बाबा हरकु बेवा
नन्दा ऊंकार बेवा केवा कुका पिता करणा
2/3 हि० ब० धाकड़ स्का० है खातेदार

उपरोक्तानुसार खातेदारो
के बताये गए हिस्से मजमे आम में रखा गया।
जिसमें सभी ने सही होने बाबत पुष्टि की गई।

अत: खातेदारो की
सहमति, तहसीलदार बेगूं की रिपोर्ट व DILRMP
के तहत माननीय राजस्व मण्डल के आदेश/परिपत्र/
क्रमांक/BR/LR/NLRMP/F.126/पार्ट-2/10164-96
दिनांक 26.9.2017 के निर्देशानुसार उपरोक्त वर्णितानुसार
खातेदारों के हिस्से की घोषणा की जाती है।

सभी पक्षकारो की सहमति से हिस्से
की घोषणा अनुसार निर्णय किये जाने से डिक्री आदेश
पारित किया जावे, विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया
जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 71/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

.......................वादी

बनाम

1. कालुराम पिता मांगीलाल ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
2. घीसालाल पिता मांगीलाल ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
3. सुरेशचन्द्र पिता मांगीलाल ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
4. श्यामलाल पिता कन्हैयॉलाल ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
5. दुलाक बाई पत्नि स्व0 मांगीलाल ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
6. लक्ष्मीनारायण पिता बालु ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
7. शिवलाल पिता परमानन्द ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
8. मुरलीधर पिता परमानन्द ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
9. पन्नालाल पिता परमानन्द ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
10. उँकारलाल पिता छगनलाल ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
11. तोलीराम पिता छगनलाल ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
12. भैरूलाल पिता छगनलाल ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
13. बंशीलाल पिता नन्दराम ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
14. रामेश्वर पिता नन्दराम ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
15. जगदीश पिता नन्दराम ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
16. धापु पिता नन्दराम ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
17. मोहन पिता गिरधारी ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
18. हरकु बेवा नन्द धाकड निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
19. उँकार पिता देवा धाकड निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
20. कुका पिता बरदा धाकड निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ

................प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1 से 20 निर्णय दिनांक : 05.07.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के आदेश/ परिपत्र / कमांक/ बीआर/ एलआर /एन.एल.आर.एम.पी./एफ–126/ पार्ट–2/ 10164–96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट जयनगर पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया, दिनांक 05.07.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित आये।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 1219 दिनांक 19.06.2019 से अवगत कराया कि ग्राम मण्डावरी में खाता संख्या 496 संवत 2072–75 में आराजी नं0 493, 494, 495 किता–3 रकबा 0.275 हैक्टर श्री कालुराम घीसालाल सुरेशचन्द्र पिता मांगीलाल वगैराह (जगावन्दी संलग्न अनुसार) दर्ज रेकार्ड होकर उकत खाते में हिस्से सही दर्ज नहीं है। अतः वादी प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 सह 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत हिस्से की घोषणा किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली को दिनांक 05.7.2019 को कोर्ट कैम्प जयनगर पर रखाया गया। सभी पक्षकारान उपस्थित आए। प्रतिवादीगण में से उपस्थित पक्षकारो ने ग्राम मौजा मण्डावरी में वाद वर्णित आराजी किता– 3 रकबा 0.275 हैक्टर उनकी सामलाती भूमि है। कोर्ट

-----लगातार

Scanned by CamScanner

कैम्प में पक्षकारो के बताये मुमाबिक खातेदारो के हिस्से दर्ज किये गये सजरे में दर्ज हिस्से घोषित करवाने हेतु सभी प्रतिवादीगण सहमत है।

रिकोर्ड का अवलोकन किया गया। सेटलमेन्ट रिकोर्ड में वाद वर्णित आराजी किता– 3 रकबा 0.275 हैक्टर मांगीलाल , लक्ष्मीनारायण पिता बालु 1/4, शिवलाल मुरलीधर पन्नालाल पिता परमानन्द 1/9 नन्दराम म ोहन पिता गिरधारी हिस्सा बराबर 1/9 ब्राम्हण हरकु बेवा नन्दा, उँ कार पिता देवा, कुका पिता बरदा 1/3 हिस्सा बराबर धाकड सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है। विरासत नामान्तरण संख्या 2801 में मांगीलाल पिता बालु के बजाय कालुराम घीसालाल सुरेशचन्द्र पिता मांगीलाल श्यामलाल पिता कन्हैयॉलाल बुलाक बाई पत्नि स्व0 मांगीलाल के नाम दर्ज हुआ है। मजमें आम में खातेदारो के हिस्से की जानकारी की गई जिसमें यह जाहीर आया कि वाद वर्णित आराजी किता– 3 रकबा 0.275 हैक्टर सामलाती आराजी है। जिसमें उकारलाल भैरूलाल धापु बाई मोहन हरकुबाई उँकार व कुका फोत हो चुके है, जिनके वारिसान कमशः भगवानलाल ,शम्भुलाल पिता उँकार लाल , कैलाश वगै पिता भैरूलाल बंशीलाल रामेश्वर, जगदीश पिता नन्दराम रामप्रसाद पिता मोहनलाल संतोषकुमार अनिलकुमार पिता बद्रीलाल ब्राम्हण मांगीबाई पत्नि उँ कार प्रभुलाल मिठ्ठुलाल हरलाल पिता उँकार ,शांतिलाल पिता देवीलाल, रामीबाई पत्नि देवीलाल धाकड वगै0 है। अतः मजमेंआम में प्राप्त जानकारी व पक्षकारो की सहमति से गौजा मण्डावरी आराजी नम्बर 493, 494, 495 किता–3 रकबा 0.275 हैक्टर में निम्नानुसार हिस्से की घोषणा किया जाना उचित है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0 काश्त0 अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम मण्डावरी की आराजी नं.493, 494, 495 किता–3 रकबा 0.275 हैक्टर भूमि में श्री कालुराम घीसालाल सुरेशचन्द्र पिता मांगीलाल, श्यामलाल पिता कन्हैयॉलाल, गुलाब बाई पत्नि स्व0 मांगीलाल हिस्सा 1/18, लक्ष्मीनारायण पिता बालु हिस्सा 1/18, शिवलाल मुरलीधर, पन्नालाल पिता परमानन्द हिस्सा 1/9 ,उँकारलाल तोलीराम भैरूलाल पिता छगनलाल हिस्सा 1/18, बंशीलाल रामेश्वर जगदीश पिता नन्दराम ,धापु बेवा नन्दराम हिस्सा 1/36, मोहन पिता गिरधारी हिस्सा 1/36 ब्राम्हण, हरकु बेवा नन्दा, उँकार पिता देवा ,कुका पिता बरदा हिस्सा 2/3 धाकड सा.देह खातेदार के नाम पर घोषित किया जाता है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिकी तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2019 को कोर्ट कैम्प जयनगर पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

5/7/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 71/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

.......................वादी

बनाम

1. कालुराम पिता मांगीलाल ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
2. घीसालाल पिता मांगीलाल ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
3. सुरेशचन्द्र पिता मांगीलाल ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
4. श्यामलाल पिता कन्हैयॉलाल ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
5. बुलाक बाई पत्नि स्व0 मांगीलाल ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
6. लक्ष्मीनारायण पिता बालु ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
7. शिवलाल पिता परमानन्द ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
8. मुरलीधर पिता परमानन्द ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
9. पन्नालाल पिता परमानन्द ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
10. उॅकारलाल पिता छगनलाल ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
11. तोलीराम पिता छगनलाल ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
12. भैरूलाल पिता छगनलाल ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
13. बंशीलाल पिता नन्दराम ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
14. रामेश्वर पिता नन्दराम ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
15. जगदीश पिता नन्दराम ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
16. धापु पिता नन्दराम ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
17. मोहन पिता गिरधारी ब्राम्हण निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
18. हरकु बेवा नन्द धाकड निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
19. उॅकार पिता देवा धाकड निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ
20. कुका पिता बरदा धाकड निवासी निवासी मण्डावरी तह0बेगूँ

...............प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 05.07.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष कोर्ट कैम्प जयनगर पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0 काश्त0 अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, ग्राम मण्डावरी की आराजी नं.493, 494, 495 किता–3 रकबा 0.275 हैक्टर भूमि में श्री कालुराम घीसालाल सुरेशचन्द्र पिता मांगीलाल, श्यामलाल पिता कन्हैयॉलाल, गुलाब बाई पत्नि स्व0 मांगीलाल हिस्सा 1/18, लक्ष्मीनारायण पिता बालु हिस्सा 1/18, शिवलाल मुरलीधर, पन्नालाल पिता परमानन्द हिस्सा 1/9 ,उॅकारलाल तोलीराम भैरूलाल पिता छगनलाल हिस्सा 1/18, बंशीलाल रामेश्वर जगदीश पिता नन्दराम ,धापु बेवा नन्दराम हिस्सा 1/36, मोहन पिता गिरधारी हिस्सा 1/36 ब्राम्हण, हरकु बेवा नन्दा, उॅकार पिता देवा ,कुका पिता बरदा हिस्सा 2/3 धाकड सा.देह खातेदार के नाम पर घोषित किया जाता है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत

-----लगातार

Scanned by CamScanner

हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 05.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

5/7/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned by CamScanner